



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक 24.03.2024

05 अभियुक्तों को 06 माह की अवधि के लिये जिलाबदर व प्रतिबन्धित किया गया।

अभ्यस्त अपराधी जिसके विरूद्ध जनपद के थानों में गंभीर धाराओं जैसे चोरी, लूट, बलवा गुंडा अधि० आदि में अभियोग पंजीकृत हैं को 06 माह की अवधि के लिये जिलाबदर व प्रतिबन्धित कराया गया है। जिलाबदर अभियुक्त यदि जनपद की सीमा के अन्दर पाया जाता है तो उसके विरूद्ध गुण्डा नियंत्रण अधि० 1970 की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी सम्बन्धित थाना प्रभारी उक्त कार्यवाही से 03 दिवस के अन्दर सम्बन्धित न्यायालय को अवगत करायेंगे। प्रतिबन्धित अभियुक्त उक्त अवधि में लोक शान्ति बनाये रखते हुये अपने-अपने थानों पर प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी।

विवरण जिलाबदर अभियुक्त -

1. मोहित खटीक पुत्र ढबलू उर्फ बबलू नि० ग्राम अटरिया थाना आटा जनपद जालौन दिनांक 21.03.2024 से जिलाबदर।
2. भूरे सिंह पुत्र भीखम सिंह नि० ग्राम महोई थाना माधौगढ जनपद जालौन दिनांक 28.02.2024 से जिलाबदर।
3. रामसेवक भारद्वाज उर्फ रामू पुत्र श्री सीताराम नि० मगरांया कोतवाली उरई जनपद जालौन दिनांक 28.02.2024 से जिलाबदर।
4. सूरज सिंह राजावत पुत्र भूरे सिंह नि० ग्राम महोई थाना माधौगढ जनपद जालौन दिनांक 28.02.2024 से जिलाबदर।

विवरण प्रतिबन्धित अभियुक्त -

1. नागेन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम नि० ग्राम भगवानपुरा थाना माधौगढ जनपद जालौन दिनांक 28.02.2024 से प्रतिबन्धित।